संख्या-211/2017/1215/17-27-सिं0-4-46(डब्ल्यू)/12

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2017

विषय: नहरों/ड्रेनों की सिल्ट सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

नहरों/ड्रेनों की सिल्ट सफाई विषयक शासनादेश संख्या-960/12-27-सिं0-4-46(डब्ल्यू)/12, दिनांक 08 मई, 2012, शासनादेश संख्या-281/16-27-सिं0-4-46(डब्ल्यू)/12, दिनांक 30-09-2016 एवं शासनादेश संख्या-99/2017/836/17-27-सिं0-4-64(डब्ल्यू)/12, दिनांक 12 मई, 2017 एवं शासनादेश संख्या-121/2017/1210/17-27-सिं0-4-46(डब्ल्यू)/12, दिनांक 08 जून, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा नहरों/रजवाहों/ड्रेनों की सिल्ट सफाई के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए यह व्यवस्था दी गई है कि नहरों/रजवाहों/ड्रेनों की सिल्ट सफाई के कार्यक्रम की सूचना क्षेत्र के सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाये तथा सफाई कार्य की प्रारम्भ से पूर्व कार्य अवधि में एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जाये जिसमें कार्यस्थल को चिन्हित किया जा सके।

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2017 से होने वाले सिल्ट सफाई के कार्यक्रम को विभागीय वेबसाइट पर डाला जाए, जिसमें सिल्ट सफाई का पूर्ण विवरण यथा-नहर की लम्बाई, कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य समाप्त करने की अवधि आदि का

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लेख हो। नहरों से सिल्ट सफाई के कार्यों में पारदर्शिता अपनाए जाने हेतु ड्रोन तकनीकी का प्रयोग कर कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफी करायी जाए। सिल्ट सफाई के कार्यक्रम की पूर्ण सूचना मा0 सांसद, मा0 विधायक व अन्य क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए एवं इसकी विज्ञप्ति भी जारी करायी जाए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सभी मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक दिशा-निर्देश अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-211/2017/1215(1)/17-27-सिं0-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, कृषि/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अध्यक्ष, पैक्ट, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- समस्त जिलाधिकारी।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुश्ताक अहमद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in